

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर०ए०एस०)

वाद पत्र सं० : 285 सन 2015

अनवान :-

1. फारूख मोहम्मद पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र हिराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
2. रोहिताष 3. जयवीर सिंह 4 राजेन्द्र कुमार पि० साहबराम जाति जाट साकिन 16 जेएसएन जसाना तहसील नोहर ।
- 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।
6. मैनेजर हनुमानगढ सहकारी बैंक नोहर ।

प्रतिवादीगण

7. बाबूखां पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान साकिन जसाना तहसील नोहर ।

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थित :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, प्रतिवादी
निर्णय दिनांक :- 09/12/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 54/42 के प०न० 315/397(72) किला न० 1 ता 10/2.5300 है, बारानी भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है ।

वादी व प्रतिवादी संख्या 7 का उक्त वाद भूमि में 100 हिस्सा मुश्तरका खाता में दर्ज है प्रतिवादी संख्या का 60 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 40 हिस्सा के खातेदार कास्तकार दर्ज है ।

रोही मौजा चक 2 आरपीएम के प०न० 315/397(72) के किला न० 1 ता 10 की 10 बीघा बारानी भूमि में वाद व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रेता निहालसिंह पुत्र जरदारसिंह से किला न० 3/10 बिष्वा , 4 ता 7 की 4.00 किला न० 8 की 0 बिष्वा कुल 5.00 बीघा भूमि को दिनांक 09.08.1995 को खरीद की थी जो विक्रेता को बाहमी बटवारा में प्राप्त हुई है जिसे वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ने खरीद की है जिस पर कब्जा खरीद के समय से लगातार चला आ रहा है वादी ने अपनी खरीद की गई भूमि को समतल व उर्वरा बनाया है ।

वाद भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान मुश्तरका होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा अपनी खरीद की गई भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहते है ।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण  जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर जबाब पेश किया

al

अधिवक्ता
नोहर

की रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 54/42 के प0न0 315/397 (72) किला न0 1 ता 10 की कुल 2.5300 हैक्ट में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 1 के पास किला न0 1/0.253 , 2/0.253 , 3/0.1265, किला न0 10/0.253 , 9/0.2530 , 8/0.1265 हैक्ट कब्जा काश्त में चली आ रही मुताबिक कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया । वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया ।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है ।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 67/54 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 फारूख, बाबुखां मोहम्मद पि0 जमालदीन जाति मुसलमान सा0 जसाना खातेदार रहन फारूख हि0 हुन0स0भूमि0वि0 बैंक नोहर बाबु खां मोहम्मद हि0 पीएनबी शाखा नोहर मूर्त— 315/397(15) के किला न0 3 की 0.1265 हैक्ट, 4—5 की 0.506 हैक्ट व 6—7 की 0.506 हैक्ट, 8 की 0.1265 हैक्ट कुल 1.265 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 बलराम पुत्र हिराराम 3/5 हि0, जयवीरसिंह पुत्र साहबराम हि0 1687/12650, राजेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम हि0 1686/12650, रोहिताष पुत्र साहब 1687/12650 हि0 जाति जाट सा0 16 जेएसएन खातेदार— 315/397(72) के किला न0 1, 2 की 0.506 हैक्ट, 8 की 0.1265 हैक्ट, 9, 10 की 0.506 हैक्ट कुल 1.265 हैक्ट बारानी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना—अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

वाद पत्र सं० : 285 सन 2015

अनवान :-

1. फारूख मोहम्मद पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र हिराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
2. रोहिताष 3. जयवीर सिंह 4 राजेन्द्र कुमार पि० साहबराम जाति जाट साकिन 16 जेएसएन जसाना तहसील नोहर ।
- 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।
6. मैनेजर हनुमानगढ सहकारी बैंक नोहर ।

प्रतिवादीगण

7. बाबूखां पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान साकिन जसाना तहसील नोहर ।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 285 सन 2015 निर्णय दिनांक -09/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 67/54 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

- 1 फारूख, बाबूखां मोहम्मद पि० जमालदीन जाति मुसलमान सा० जसाना खातेदार रहन फारूख हि० हुन०स०भूमि०वि० बैंक नोहर बाबु खां मोहम्मद हि० पीएनबी शाखा नोहर मूर्त- 315/397(15) के किला न० 3 की 0.1265 हैक्ट, 4-5 की 0.506 हैक्ट व 6-7 की 0.506 हैक्ट, 8 की 0.1265 हैक्ट कुल 1.265 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 बलराम पुत्र हिराराम 3/5 हि०, जयवीरसिंह पुत्र साहबराम हि० 1687/12650, राजेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम हि० 1686/12650, रोहिताष पुत्र साहब 1687/12650 हि० जाति जाट सा० 16 जेएसएन खातेदार- 315/397(72) के किला न० 1, 2 की 0.506 हैक्ट, 8 की 0.1265 हैक्ट, 9, 10 की 0.506 हैक्ट कुल 1.265 हैक्ट बारानी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर